न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 140/2017 **दायर दिनांकः 07/09/2017**

उनवान

1. पानाचन्द आयु 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति जाटव निवासी खेड़लीगंज अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनाकः 18/01/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा पटवार क्षैत्र खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में वादी के पुराने खाता संख्या 72 का ख0न0 6 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 30 का रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी दर्ज खाता थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 एवं सम्वत् 2037 से 2040 मिलान क्षैत्रफल, पुराना नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का दौराने सेटलमेन्ट नये ख0न0 4 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 11 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 45 का रकबा 0.05 है0, कुल किता 3 का रकबा 0.52 है0 दर्ज किया हैं जबकि वादी के पुराना रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा 1.20 है0 दर्ज करना चाहिए था। शेष रकबा 0.68 है0 सरकार के दर्ज खाता कर दिया।

जबकि मौके पर आज भी वादी पुराने रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त लगातार करता चला आ रहा हैं। लम्बे समय से चले आ रहे कब्जा मुखालफाना (बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ) के तहत वादी खातेदार कृषक बन चुका हैं। नकल जमाबन्दी नवीन, नक्शा ट्रेस, सेटलमेन्ट जमाबन्दी, जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादी ने सरकार के दर्ज रकबा 0.68 है0 आराजी को अपने खाते दर्ज कराने हैतु तहसीलदार साहब अटरू को प्रार्थना पत्र दिया तो तहसीलदार साहब अटरू ने वादी के खाते दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। जबकि वादी लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर तथा पुराने रकबा के आधार पर उपरोक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वादी को कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर दिया तो वादी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेंगा तथा 91 एल0आर0एक्ट0 का नोटिस दे दिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। अस्तू वादी को वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित 0.52 है0 के साथ 0.68 है0 कल 1.20 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में वादी को बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जावें। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी के 0.68 है0 रकबा कम दर्ज करने पर एवं अंतिम बार दिनांक 15/06/2017 को प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। विवादाग्रस्त आराजी ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्ड़ल खेड़लीगंज तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। अत : माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) यह कि वादी को वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्ड़ल खेड़लीगंज में वादी के दर्ज ख0न0 4 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 11 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 45 का रकबा 0.05 है0, कुल किता 3 का रकबा 0.52 है0 के साथ सरकार के दर्ज रकबा 0.68 है0 कुल 1.20 है0 पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) यह कि प्रतिवादी को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित 1.20 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें व वादी के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही नहीं करें वह वादी को उक्त वर्णित 1.20 है0 आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि बिन्दू संख्या 1 स्वीकार है कि बन्दोबस्त से पूर्व जमाबन्दी संवत 2033–36 एवं 2037–40 में वादी पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति जाटव खेडलीगंज के नाम खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड अनुसार थी जिसमें गत ख0नं0 6रकबा 3 18 बिस्वा एवं ख0नं0 30 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा दर्ज रिकार्ड अनुसार थी। जो स्वीकार है। बिन्दू संख्या 2 स्वीकार है कि ग्राम गोविन्दपुरा के नवीन ख0नं0 4 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 रकबा 0.25 है0 एवं ख0नं0 45 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 रकबा 0.52 है0 वादी के नाम भूमि आई है। गत ख0नं0 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का रकबा 1.20 है0 बनता है जिसके स्थान पर बन्दोबस्त द्वारा 0.52 है0 बनाया है जो कमी रकबा 0.68 है0 भूमि होती है। बिन्दू संख्या 3 स्वीकार है क्योंकि गत ख0नं0 6 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के 0.63 है0 के स्थान पर 0.47

है0 कायम कर कमी 0.16 है0 इसी प्रकार ख0नं0 30 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा की 0.57 है0 के स्थान पर 0.05 है0 कमी रकबा 0.52 है0 कायम कर कुल कमी रकबा 0.68 है0 की बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई है जो दुरूस्ती योग्य है। बिन्दू संख्या 4 यह कथन अस्वीकार है क्योंकि वादी द्वारा यह नही बताया गया कि कमी रकबा 0.68 है0 किस ख0नं0 में समायोजित किया गया है। बिन्दु संख्या 5 लगा 9 न्यायालय से संबंधित है। अतः कमी रकबा किस ख0नं0 में किया जाय स्थिति स्पष्ट नहीं बताऐ जाने के कारण क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती है।

3. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1–आया कि वादी वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्डल खेडलीगंज के ख0नं0 4 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 45 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.52 है0 के साथ सरकार के दर्ज रकबा 0.68 है0 कुल रकबा 1.20 है0 पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी एवं नॉलिशी है ?

(वादी)

तनकी नं0 2–आया कि वादी के पुराने खाता संख्या 72 का ख0न0 6 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 30 का रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी का नया रकबा 1.20 है0 दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

(वादी)

तनकी नं0 3–आया कि वादी प्रतिवादी को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि मद नं0 2 में वर्णित रकबा 1.20 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें व वादी के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही नहीं करें। वादी के कब्जे काश्त की 1.20 है0 आराजी मे व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

(वादी)

तनकी नं0 4–आया कि वादी द्वारा यह नहीं बताया गया कि कमी रकबा 0.68 है0 किस ख0नं0 में समायोजित किया गया है।

(प्रतिवादी)

तनकी नं0 5–दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत pw1 पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति जाटव निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां द्वारा शपथ पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किये कि ग्राम गोविन्दपुरा मे मेरे पुराने खाता संख्या 72 का ख0न0 6 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 30 का रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी दर्ज खाता थी। उक्त वर्णित आराजी का दौराने सेटलमेन्ट नये ख0नं0 4 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 45 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.52 है0 दर्ज किया है जबकि मेरे पुराना रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा 1.20 है0 दर्ज होना चाहिए था। शेष रकबा 0.68 है0 सरकार के दर्ज खाता कर दिया। जबकि मौके पर आज भी मेरे पुराने रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त लगातार चला आ रहा है। लम्बे समय से चले आ रहे कब्जा मुखालफाना (बाई आफरेशन आफ लॉ) के तहत मैं खातेदार कृषक बन चुका हूं। लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर तथा पुराने रकबा के आधार पर नया रकबा 1.20 है0 आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने की घोषण करवाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हूॅ। मुझे अपने कब्जा काश्त की आराजी 1.20 है0 से बेदखल नहीं करे व मेरे विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही नही करें।

pw2 रामशंकर पुत्र कन्हैयालाल जति जाटव निवासी खेडलीगंज, pw3 कजोडीलाल पुत्री धूलीलाल जाति सहरिया निवासी गोविन्दपुरा, pw4 रामकिशन पुत्र भैरूलाल जाति चौबदार निवासी महेशपुरा हाल बन्धा रोड गायत्री नगर अटरू तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किये गये। साक्ष्यवादियों ने बताया कि मैं पानाचन्द को जानता हूॅ इसका खेत मेने देख रहा है जिस पर मैं पानाचन्द के साथ आता जाता रहता हूॅ। पानाचन्द के ग्राम गोविन्दपुरा मे मेरे पुराने खाता संख्या 72 का ख0न0 6 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 30 का रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी दर्ज खाता थी। उक्त वर्णित आराजी का दौराने सेटलमेन्ट नये ख0नं0 4 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 45 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.52 है0 दर्ज किया है जबकि पानाचन्द के पुराना रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा 1.20 है0 दर्ज करना चाहिए था। पानाचन्द के खेत का रकबा कम दर्ज करके 0.68 है0 सरकार के गलत खाता दर्ज किया है। जबकि मौके पर आज भी पानाचन्द पुराने रकबा 7 बीघा 9

बिस्वा पर निर्बाध रूप से काबित काश्त लगातार करता चला आ रहा है। पानाचन्द के पुरानारकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा 1.20 है0 किया जाना न्यायोचित है।

5. अभिभाषक वादी एवं पेराकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं0 1–आया कि वादी वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्डल खेडलीगंज के ख0नं0 4 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 45 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.52 है0 के साथ सरकार के दर्ज रकबा 0.68 है0 कुल रकबा 1.20 है0 पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी एवं नॉलिशी है इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि वादी को ग्राम गोविन्दपुरा के साबिक ख0नं0 6 की 3 बीघा 18 बिस्वा व साबिक ख0नं0 30 की 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा वादी को आवंटित हुई थी जिसका वादी रिकॉर्डेड टीनेन्ट है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी का नया रकबा 0.52 है0 बनाया गया है जबकि 1.20 है0 बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार वादी का रकबा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.68 है0 कम करके सरकारी दर्ज कर दिया गया हैं। अभिभाषक वादी द्वारा आगे कथन किया गया कि सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को किसी रिकोर्डेड खातेदार के मूल रकबे को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के कम करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का रकबा बडाया जाकर 1.20 है0 दर्ज कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक वादी की बहस के परिपेक्ष्य में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गोविन्दपुरा की जमाबंदी संवत 2033–36 प्रदर्श 7ए, 2037–40 प्रदर्श 2ए के अनुसार वादी ख0नं0 6 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व ख0नं0 30 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का रिकोर्डेड खातेदार कृषक था। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 ए के अनुसार साबिक ख0नं0 6 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के नया ख0नं0 4 रकबा 0.22 है0 व ख0नं0 11 रकबा 0.25 है0 तथा साबिक ख0नं0 30 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के नया ख0नं0 45 रकबा 0.05 है0 कुल किता कुल रकबा 0.52 है0 बनाया गया। यह स्पष्ट है कि वादी के मूल रकबे 7 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा 1.20 है0 बनना चाहिए था लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान केवल 0.52 है0 दर्ज किया गया है जो मूल रकबे से करीब 0.68 है0 कम है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के मूल रकबे में यह कमी या

परिवर्तन किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से किया गया यह स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब दावा क्रमांक भूअ0/2018/24 दिनांक 05.06.2018 में वादी के उक्त अनुतोष को स्वीकार किया है। वादी का यह घटा हुआ रकबा सरकार के खाते दर्ज किया गया है या नहीं –यह वादी द्वारा पेश जमाबंदी, नजरी नक्शा व मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट नहीं है। ग्राम गोविन्द पुरा के मौजा नक्शा संवत 2012 के अनुसार वादी के साबिक ख0नं0 6 के चारों तरफ साबिक ख0नं0 3, 5, 7 व 8 है तथा भूप्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 ए के अनुसार साबिक ख0नं0 3 के रकबा में सेटलमेन्ट के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ हे, साबिक ख0नं0 5 का रकबा सेटलमेन्ट के दौरान थोडा कम हुआ है, साबिक ख0नं0 7 का रकबा भी सेटलमेन्ट के दौरान कम हुआ है व साबिक ख0नं0 8 हाल ख0नं0 80 के रकबे के संबंध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य/मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। साबिक ख0नं0 8 के मिलान क्षेत्रफल के अभाव में रकबे में परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है। हाल ख0नं0 80 वन विभाग के नाम दर्ज है और वादी द्वारा उक्त प्रकरण में वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है और **पक्षकार बनाये बिना और वन विभाग को सुने बिना उसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हे।** इस प्रकार यह साबित नहीं है कि वादी के साबिक ख0नं0 6 का कम हुआ 0.15 है0 रकबा आस पास के किस ख0नं0 में बडा है या नहीं ? इसी प्रकार वादी के साबिक ख0नं0 30 (हाल ख0नं0 45) के एक ओर साबिक ख0नं0 28 (हाल ख0नं0 46) व दूसरी ओर दूसरे राजस्व गांव की सीमा है। साबिक ख0नं0 28 यानी हाल ख0नं0 46 के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के दोरान इसका रकबा 0.18 है0 बडाया गया है। यानी वादी के साबिक ख0नं0 30 के घटे हुऐ करीब 0.51 है0 रकबे में से करीब 0.18 हे0 (1.68–1.50) रकबा हाल ख0नं0 46 में बडाया गया है लेकिन हाल ख0नं0 46 के **खातेदार हरिश्चन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और इन्हे पक्षकार बनाये बिना और सुने बिना इनके रकबे को कम नहीं किया जा सकता।** वादी के हाल ख0नं0 45 के दूसरी ओर दूसरे राजस्व गावं की सीमा पर ख0नं0 44 खातेदार श्री कल्यागण जी महाराज विराजमान है लेकिन वादी द्वारा हाल ख0नं0 44 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किये जाने से यह साबित नहीं किया जा सकता है कि सेटलमेन्ट के दौरान हाल ख0नं0 44 का रकबा बढा है या घटा है। हाल ख0नं0 44 के खातेदार श्री कल्याण जी महाराज विराजमान को जरिये पुजारी वादी द्वारा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और इसे **पक्षकार बनाये बिना और सुने बिना इसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हे।**

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह साबित होता है कि वादी के मूल रकबे 7 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा 1.20 है0 की जगह केवल 0.52 है0 बनाया गया है जो मूल रकबे से करीब 0.68 है0 कम है लेकिन यह साबित नहीं होता हे कि यह कम हुआ रकबा किस ख0नं0 में बढाया गया हैं । वादी के हाल खसरा नम्बरों के आस पास कोई सरकारी भूमि नहीं है और वादी ने अपने वाद पत्र, अनुतोष व बहस के दौरान कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उसका कम हुआ रकबा 0.68 है0 किस निजी या सरकारी आराजी बढा हुआ है।

अतः तनकी नं0 1 आंशिक रूप से ही वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2—आया कि वादी के पुराने खाता संख्या 72 का ख0न0 6 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 30 का रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 का रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी का नया रकबा 1.20 है0 दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पेश दस्तावेज ग्राम गोविन्दपुरा की जमाबंदी संवत 2033—36, 2037—40, 2069—72 व 2073—76, नक्शा मौजा संवत 2012, भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल आदि के आधार पर तथा तनकी नं0 1 में किये गये विवेचन के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि वादी कुल 1.20 है0 भूमि अर्थात 0.68 है0 और भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी तो है लेकिन यह 0.68 है0 भूमि किस खातेदार के रकबे से कम करके वादी के खाते दर्ज की जावे यह साबित नहीं हो पाया है।

अतः तनकी नं0 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3—आया कि वादी प्रतिवादी को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि मद नं0 2 में वर्णित रकबा 1.20 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें व वादी के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही नहीं करें। वादी के कब्जे काश्त की 1.20 है0 आराजी मे व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 1 व 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि वादी का कम हुआ रकबा किस के खाते में बढा है और उन्हे पक्षकार बनाये बिना और सुने बिना बेदखल नहीं किया जा सकता।

अतः तनकी नं0 3 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4—आया कि वादी द्वारा यह नहीं बताया गया कि कमी रकबा 0.68 है0 किस ख0नं0 में समायोजित किया गया है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी/सरकार पर था । वादी द्वारा पेश वाद पत्र, दस्तावेज व बहस में कहीं भी यह उल्लेखित नही किया है कि वादी का घटा हुआ रकबा प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार के किस ख0नं0 में बढा हुआ है। वादी द्वारा पेश ग्राम गोविन्दपुरा के नजरी नक्शा व मिलान क्षेत्रफल के आधार पर वादी की आराजी के चारों ओर प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार के खाते की कोई आराजी स्थित नहीं है।

अतः तनकी नं0 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी ख0नं0 4 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 रकबा 0.25 है0 व ख0नं0 45 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 140/2017 **दायर दिनांकः 07/09/2017**

उनवान

1. पानाचन्द आयु 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति जाटव निवासी खेड़लीगंज अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी ख0नं0 4 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 11 रकबा 0.25 है0 व ख0नं0 45 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.01.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)